भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3327
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल पाइपलाइन रखरखाव, जल निकासी संपरीक्षा और जल गुणवत्ता परीक्षण

3327. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः
डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से देश में पेयजल आपूर्ति पाइपलाइनों की सफाई, फ्लशिंग और रखरखाव की आवृत्ति का महाराष्ट्र के जिला-वार ब्यौरा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण जल निकासी और सीवरेज प्रणालियों की आवधिक तकनीकी समीक्षा और संपरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो महाराष्ट्र के जिला-वार ब्यौरा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2014 से बैक्टीरिया और रासायनिक संदूषण के परीक्षण सहित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षणों की संख्या का महाराष्ट्र के जिला-वार ब्यौरा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन मामलों का ब्यौरा क्या है जहाँ संदूषण स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गयाः
(घ) क्या सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश की जल त्रासदी सहित जल संदूषण की प्रमुख घटनाओं का कारण बनने वाली चूकों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या रहे, और
(ङ) ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव, पाइपलाइनों की सफाई, फ्लशिंग और मरम्मत सहित पेयजल अवसंरचना का प्रतिस्थापन, जल गुणवत्ता की निगरानी और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जल निकासी और सीवरेज प्रणालियों, जिसमें जल जीवन मिशन

(जेजेएम) के अंतर्गत आने वाली जल निकासी और सीवरेज प्रणालियां शामिल हैं, की निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन अगस्त, 2019 से कार्यान्वित किया जा रहा है। जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता प्रसार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 22.01.2026 तक प्राप्त सूचना के आधार पर पेयजल आपूर्ति में सीवेज संदूषण के साथ किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में सूचना नहीं मिली थी।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने, जिसमें ओटीएच की सफाई पाइपलाइन रिसाव की जांच जैसे उपाय शामिल हैं, की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है और जन स्वास्थ्यवर्धन में सहायक है।

जेजेएम के तहत, पेयजल हेतु जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट, नमूनों के संग्रहण आदि सहित जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल भी विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे लिंक https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report पर देखा जा सकता है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। महाराष्ट्र द्वारा सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में अमृत और अमृत 2.0 जैसे मिशनों और योजनाओं के तहत नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सलाह के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करता है। ये मिशन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का समर्थन करते हैं, जिसमें विरासत प्रणालियों को बदलना, गुणवत्ता आश्वासन के साथ 24×7 जल आपूर्ति को बढ़ावा देना, नल से जल प्राप्ति (डीएफटी) की पहल, ऑनलाइन जल गुणवत्ता निगरानी, एससीएडीए-आधारित निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना शामिल है। अमृत/अमृत 2.0 के तहत और राज्यों के साथ सामंजस्य से, 246 लाख शहरी नल जल कनेक्शन और 182 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि 93,457.51 किमी पानी की पाइपलाइन और 26,995.61 किमी सीवर नेटवर्क बिछाए गए हैं या बदले गए हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भगीरथपुरा क्षेत्र (वार्ड नंबर 11, जोन-4, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इंदौर) में 28.12.2025 को उल्टी और डायरिया की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र डायरिया रोग के कारण 22 लोगों की मृत्यु हो गई और 459 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की और सरकारी तथा निजी अस्पतालों में प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया। इस घटना के बाद, इंदौर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती, डोर-टू-डोर सर्वेक्षण, ओआरएस पैकेट और क्लोरीन गोलियों का वितरण, पाइपलाइनों और बोरवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति का निलंबन, पानी के टैंकरों की व्यवस्था और एनएबीएल-मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में पानी के नमूनों के परीक्षण सहित एक संयुक्त कार्रवाई शुरू की। राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की और 10 जनवरी 2026 से "स्वच्छ जल अभियान" शुरू किया। यह मामला माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के समक्ष विचाराधीन है, जिसने संदूषण के कारणों, जन स्वास्थ्य प्रभावों, प्रतिक्रिया की पर्याप्तता, निवारक उपायों और संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्वों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल संदूषण सामान्यत: वितरण प्रणालियों में गड़बड़ियों और सीवरेज एवं स्वच्छता अवसंरचना के साथ उनके संपर्क के कारण होता है। यद्यपि शहरी पेयजल को बीआईएस आईएस 10500 मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है, लेकिन गुणवत्ता में गिरावट पारेषण, भंडारण और वितरण प्रणालियों में बुनियादी ढांचे से संबंधित, प्रचालनात्मक, पर्यावरणीय और रखरखाव कारकों के कारण हो सकती है, जिसमें रिसाव, पाइप फटना, दोषपूर्ण जोड़, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के साथ क्रॉस-कनेक्शन, पुराना बुनियादी ढांचा और क्षरण, रुक-रुक कर आपूर्ति और कम दबाव, ठहराव और लंबे समय तक पानी का प्रतिधारण और भंडारण या सीवरेज सिस्टम का अपर्याप्त रखरखाव शामिल हैं। ऐसे जोखिमों को दूर करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 के तहत सामुदायिक भागीदारी सहित जल गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने के लिए एडवायजरी जारी की है, और मार्च 2024 में "जल आपूर्ति और शोधन प्रणालियों (नल से जल प्राप्ति)" पर नियमावली प्रकाशित की है। जनवरी

2026 में, राज्यों को आगे सलाह दी गई थी कि वे गड़बड़ी वाले क्षेत्रों और पुराने बुनियादी ढांचे का व्यापक आकलन करें, सीवर-वाटर लाइन क्रॉसिंग की पहचान करें और अमृत/अमृत 2.0 के तहत सृजित भू-स्थानिक डेटाबेस का उपयोग करके जल और सीवर नेटवर्क की डिजिटल मैपिंग करें।

***

दिनांक 12.03-2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3327 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या					रासायनिक संदूषण वाले नमूनों की संख्या					जीवाणु संदूषण वाले नमूनों की संख्या				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 *	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	992	1,152	984	1,172	2,617	52	36	208	100	21	58	34	14	92	11
2	आंध्र प्रदेश	3,64,606	6,14,014	6,99,999	6,86,179	6,63,247	14,829	14,246	11,928	1,390	16	25	24	38	46	-
3	अरुणाचल प्रदेश	26,007	29,178	39,238	22,271	8,604	68	-	16	-	-	1	4	1	-	-
4	असम	2,16,323	1,69,108	2,97,405	2,70,466	1,82,239	16,510	4,289	6,531	3,692	1,724	292	272	960	588	43
5	बिहार	2,02,493	2,32,425	1,60,783	2,74,547	1,23,932	7,859	5,381	7,519	19,044	91	-	4	2	22	-
6	छतीसगढ़	68,935	1,11,208	1,23,175	1,60,891	92,110	1,875	2,364	1,457	690	88	7	12	5	7	-
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	गोवा	8,571	8,881	10,336	13,660	7,244	11	47	30	21	44	2	3	-	-	-
9	गुजरात	2,39,232	2,57,489	1,53,057	71,204	2,74,720	16,253	24,840	14,170	4,420	5,547	2,549	1,529	819	266	121
10	हरियाणा	96,910	82,725	69,702	60,757	25,240	397	3,689	1,275	259	71	497	12,657	5,507	1,348	325
11	हिमाचल प्रदेश	2,66,754	1,98,497	2,20,428	2,41,458	2,47,714	12	24	51	17	6	5	63	82	8	5
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,97,360	2,67,334	2,53,364	2,66,547	2,88,443	710	252	255	52	17	786	555	151	42	126
13	झारखंड	1,49,724	1,95,314	2,14,431	2,18,562	1,89,297	1,354	11	222	18	12	-	-	19	3	34
14	कर्नाटक	1,59,533	2,22,732	2,66,532	3,21,759	2,22,867	12,518	20,233	24,917	17,261	11,662	-	10	4,670	2,574	507
15	केरल	2,41,787	4,55,436	6,36,043	7,00,732	3,19,541	58,515	70,262	80,836	12,839	6,897	1,69,764	2,40,629	2,77,151	47,260	26,102
16	लद्दाख	5,359	5,480	7,706	10,229	8,259	129	89	122	94	91	44	2	80	7	-
17	लक्षद्वीप	3,483	4,778	6,880	7,897	3,356	96	117	181	72	8	15	25	61	171	37
18	मध्य प्रदेश	3,44,612	6,37,637	5,74,409	5,74,798	4,38,445	1,832	2,438	2,032	701	419	264	277	635	133	90
19	महाराष्ट्र	69,215	3,93,623	6,42,396	5,87,570	5,18,349	3,340	21,936	28,421	23,257	12,176	3,819	13,817	18,336	15,982	11,601
20	मणिपुर	17,413	22,373	17,413	19,508	5,315	2	2	25	-	-	-	-	-	-	-
21	मेघालय	7,104	32,805	51,836	40,657	34,880	4	15	53	108	146	42	19	94	180	264
22	मिजोरम	18,930	37,306	29,224	21,908	7,537	390	473	485	135	141	428	1,401	1,792	1,143	250
23	नागालैंड	4,308	12,747	7,947	6,751	1,258	402	45	172	21	35	-	-	-	5	-
24	ओडिशा	2,16,816	2,37,965	2,60,445	2,72,406	2,24,265	10,971	9,032	6,309	4,017	2,430	222	127	38	34	5
25	पुदुचेरी	942	997	818	287	-	8	18	97	23	-	3	7	43	17	-
26	पंजाब	14,930	24,616	33,107	67,481	64,388	815	2,351	560	630	724	36	168	128	-	57
27	राजस्थान	1,11,407	1,41,441	1,98,476	1,80,063	63,557	33,486	38,405	34,222	13,675	5,465	89	203	180	51	34
28	सिक्किम	6,252	7,689	15,527	17,297	6,097	5	11	20	93	5	18	1,183	595	3,420	1,824
29	तमिलनाडु	3,46,263	6,71,421	8,48,706	9,07,742	8,74,438	3,514	355	215	130	13	165	29	5	3	-
30	तेलंगाना	2,23,180	2,46,089	2,91,673	2,85,183	2,57,864	508	90	2	3	2	2	2	-	-	-
31	त्रिपुरा	30,939	19,572	50,701	82,287	53,303	2,341	2,078	3,986	407	33	70	21	22	33	47
32	उत्तर प्रदेश	99,006	3,16,618	6,23,246	10,67,899	7,87,478	15,104	13,356	5,553	2,018	1,881	290	945	2,490	1,430	758
33	उत्तराखंड	71,203	93,407	1,19,958	1,25,553	97,380	14	22	63	49	64	55	29	43	34	1,212
34	पश्चिम बंगाल	3,41,587	4,67,718	5,74,096	6,82,526	4,21,105	1,19,115	1,64,989	1,51,202	1,31,806	55,960	63,255	83,319	67,058	50,794	23,242
कुल		**41,72,176**	**62,19,775**	**75,00,041**	**82,68,247**	**65,15,089**	**3,23,039**	**4,01,496**	**3,83,135**	**2,37,042**	**1,05,789**	**2,42,803**	**3,57,370**	**3,81,019**	**1,25,693**	**66,695**

2025-26*: 09.03.2026 तक

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

दिनांक 12.03-2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3327 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

महाराष्ट्र द्वारा संसूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का जिलावार विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या					रासायनिक संदूषण वाले नमूनों की संख्या					जीवाणु संदूषण वाले नमूनों की संख्या				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 *	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
1	अहमदनगर	1,130	11,978	23,277	24,936	25,454	-	29	246	119	81	2	90	315	418	498
2	अकोला	195	2,998	5,240	3,538	5,491	72	603	431	145	102	14	116	97	29	68
3	अमरावती	167	8,415	20,052	18,341	15,250	16	213	124	141	82	-	17	158	205	88
4	बीड	795	6,678	12,320	12,985	14,681	23	54	133	110	56	90	540	1,110	1,226	936
5	भंडारा	3,400	8,918	26,295	25,719	10,840	353	1,553	5,209	3,656	652	339	846	2,392	1,011	167
6	बुलढाणा	682	11,003	13,861	10,060	6,511	124	902	743	288	75	-	206	235	160	91
7	चंद्रपुर	5,404	25,413	32,701	13,432	13,015	117	1,365	1,117	67	17	100	222	765	106	109
8	छत्रपति संभाजीनगर	959	4,087	11,085	11,997	10,156	28	297	573	490	390	205	507	1,334	1,085	607
9	धाराशिव	2,136	4,252	5,055	8,513	9,166	58	44	36	61	126	127	251	354	451	503
10	धुले	3,803	13,472	10,525	11,648	9,933	18	16	19	40	43	24	116	74	109	103
11	गढ़चिरौली	424	8,675	37,230	19,883	19,787	-	122	674	185	45	15	157	651	246	163
12	गोंडिया	2,426	11,598	23,590	17,331	15,587	93	168	571	151	86	33	181	309	346	195
13	हिंगोली	1,992	6,469	5,547	5,325	3,753	90	679	822	526	391	167	356	254	361	101
14	जलगांव	1,875	8,345	20,023	24,066	20,993	10	129	243	265	147	8	50	212	217	232
15	जालना	1,813	3,659	6,455	7,736	6,170	215	412	640	372	228	49	284	283	159	208
16	कोल्हापुर	4,067	19,350	24,362	26,024	27,441	66	120	70	54	38	94	295	330	364	312
17	लातूर	2,315	2,954	5,255	3,198	5,589	198	208	336	177	89	216	254	472	242	189
18	नागपुर	1,222	10,019	30,050	27,487	15,017	2	927	3,355	4,515	1,793	60	146	427	507	288
19	नांदेड़	6,639	16,638	19,976	24,224	17,786	909	5,754	4,769	5,146	2,883	1,336	2,012	2,174	2,787	1,792
20	नंदुरबार	3,743	15,412	31,042	32,932	30,234	6	177	137	118	94	115	326	392	538	613
21	नासिक	4,886	28,188	26,484	33,930	26,248	238	1,965	639	882	682	73	274	514	583	540
22	पालघर	132	6,073	15,450	14,348	10,583	-	-	10	9	26	-	24	47	68	118

क्र. सं.	राज्य	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या					रासायनिक संदूषण वाले नमूनों की संख्या					जीवाणु संदूषण वाले नमूनों की संख्या				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 *	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
23	परभणी	1,515	3,057	4,369	5,327	4,806	156	331	286	326	268	84	211	350	427	331
24	पुणे	4,116	18,426	33,258	22,078	27,584	179	583	756	343	334	111	3,670	991	633	582
25	रायगढ़	1,823	13,654	22,698	14,543	14,649	-	83	89	12	196	-	225	265	84	73
26	रत्नागिरी	523	10,033	20,785	21,546	19,210	-	2	9	7	3	2	28	217	295	139
27	सांगली	4,465	19,569	23,822	24,692	19,960	33	83	209	180	53	225	664	767	884	664
28	सतारा	221	35,533	36,804	34,208	33,133	-	454	513	161	42	1	105	119	147	79
29	सिंधुदुर्ग	1,546	10,282	18,431	12,833	7,175	12	23	134	61	9	24	461	889	556	208
30	सोलापुर	3,278	25,045	28,535	29,349	30,175	221	2,827	2,608	2,965	2,513	284	912	764	643	629
31	ठाणे	72	4,136	5,914	8,676	8,553	-	31	37	32	28	-	26	39	34	21
32	वर्धा	328	5,422	9,949	4,272	3,512	29	1,070	1,370	175	53	-	9	42	14	46
33	वाशिम	1,019	2,477	4,305	2,353	3,041	74	180	172	55	19	21	37	164	78	109
34	यवतमाल	104	11,395	27,651	30,040	26,866	-	532	1,341	1,423	532	-	199	830	969	799
कुल		**69,215**	**3,93,623**	**6,42,396**	**5,87,570**	**5,18,349**	**3,340**	**21,936**	**28,421**	**23,257**	**12,176**	**3,819**	**13,817**	**18,336**	**15,982**	**11,601**

2025-26 *: 09.03.2026 तक

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस